रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 14–मार्च 20, 2010, शनिवार/फाल्गुन 23–फाल्गुन 29, 1931
No. 12] NEW DELHI, MARCH 14—MARCH 20, 2010, SATURDAY/PHALGUNA 23—PHALGUNA 29, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 54.—दिनांक 13-3-2008 की अधिसूचना सं. एफ-12012/1/2008-प्रशासन में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में श्री डी.पी. सिंह, निदेशक, भारत सरकार, को भूमि संसाधन विभाग में निष्पादित किए जाने वाले सभी विषयों के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से सम्पर्क करने संबंधी सूचना निम्नानुसार है :–

अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष नं.	ई-मेल पता
श्री डी.पी. सिंह	निदेशक	011-23063174	rti-dolr@nic.in

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) सूचना चाहने वाले व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा तथा इस प्रकार की सूचना चाहने वाले व्यक्तियों को यथोचित सहायता प्रदान करेगा। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए किसी भी अन्य अधिकारी, जैसा आवश्यक समझा जाए, की सहायता ले सकता है। ऐसा कोई भी अधिकारी, जिससे ऊपर उल्लिखित अधिनियम के अंतर्गत

सहायता की अपेक्षा की गई है, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) को सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराएगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी अन्य अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(5) के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) के रूप में माना जाएगा ।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबंधों, विशेष रूप से धारा 25 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) द्वारा उसे प्राप्त हुए अनुरोधों की संख्या तथा की गई कार्रवाई के संबंध में ब्यौरा रखा जाएगा ।

4. उप महानिरीक्षक (प्रशासन), भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील प्राधिकारी होंगे ।

श्री आर. एम. मिश्रा
उप महानिरीक्षक (प्रशासन)
दूरभाष (011) 23063160
ई-मेल rti-dolr@nic.in

[सं. फा. 12012/1/2008-प्रशासन]
नवीन चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Land Resources)

New Delhi, the 13th January, 2010

G.S.R. 54.—In Partial Modification of Notification No. F-12012/1/2008-Admn. dated 13-3-2008, Shri D.P. Singh, Director to the Government of India in the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development is designated as Central Public Information Officer (CPIO) in respect of the all subjects handled in the Department of Land Resources. The contact details of the CPIO are as under :

Name of Officer	Designation	Telephone No.	E-mail address
Shri D.P. Singh	Director	011-23063174	rti-dolr@nic.in

The Central Public Information Officer (CPIO) shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information. The Central PIO may seek the assistance of any other officer as may be considered necessary for the proper discharge of duties. Any officer, whose assistance has been sought under the above mentioned Act, shall render all assistance to the Central PIOs and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as Central PIO under Section 5(5) of the Right to Information Act, 2005.

3. The CPIO is to maintain the details regarding the number of requests received and action taken so as to ensure compliance with the various provisions particularly Section 25 of the Right to Information Act, 2005.

4. The Appellate Authority u/s 19(1) of the Act is DIG (Administration) in the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development.

Shri R. M. Misra
DIG (Administration)
PH-(011) 23063160
E-mail address: rti-dolr@nic.in

[No. F-12012/1/2008-Admn.]

NAVIN CHANDRA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2010

सा.का.नि. 55.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में उपायुक्त (डेयरी विकास) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, उपायुक्त (डेयरी विकास) समूह 'क' भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह अथवा कांट्रेक्ट विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या कांट्रेक्ट विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उपायुक्त (डेयरी विकास)	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड 3, 15600-39100/- ग्रेड वेतन 7600/- रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**प्रोन्नति :** ऐसे सहायक आयुक्त (डेयरी विकास) जिसने 15600-39100 (वेतन बैंड-3) ग्रेड वेतन 6600 रुपए के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है): केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य शासित क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त या वैज्ञानिक संगठनों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों के अधीन ऐसे अधिकारी जो– (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान किए गए ग्रेड में 15600-39100 रुपए (वेतन बैंड-3) व 6600 रुपए ग्रेड वेतन के समतुल्य वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डेयरी प्रौद्योगिकी या डेयरी विज्ञान में डिग्री । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डेयरी प्रौद्योगिकी या डेयरी विभाग में विशेषज्ञता के साथ डेयरी में स्नातकोत्तर डिग्री । (iii) डेयरी विकास में, सरकारी या सहकारी क्षेत्र मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास संस्थान में ज्येष्ठ पद पर दस वर्ष का अनुभव । **टिप्पण :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

	(12)
	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (डेयरी विकास), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य	भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/1/2008-प्रशासन-1]

पी. एल. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 10th March, 2010

G.S.R. 55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Commissioner (Dairy Development) in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, Deputy Commissioner (Dairy Development) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, its classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Scale of Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deputy Commissioner (Dairy Development)	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	PB-3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600.	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)	(12)
Promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion :** Assistant Commissioner (Dairy Development) with five years regular service in the grade in the scale of pay of Rs. 15600-39100 (PB-3) with Grade Pay of Rs. 6600. **Note :—**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract) :** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations or Agricultural Universities or recognised Research Institutions or Councils : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

	(12)
	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment therto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 (PB-3) with grade pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Degree in Dairy Technology or Deiry Science from a recognised University or Institute. (ii) Post Graduate Degree in Dairying with specialisation in Dairy Technology or Dairy Science from a recognised University or Institute. (iii) Possessing ten years' experience in a senior capacity in Dairy Development or Research in the Government or Co-operative Sector or in a recognised Research and Development Institution. **Note :** The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

If a Departmental Promotional Committee exists what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary (Dairy Development), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member 3. Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary at the time of recruitment.

[F. No. A-12018/1/2008-Admn. I]

P. L. MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2010

सा.का.नि. 56.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (समूह 'ग' समूह 'घ') भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध बिजली मिस्त्री के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग के केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार में बिजली मिस्त्री के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार बिजली मिस्त्री (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पुनरीक्षित वेतन बैंड/ वेतनमान और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिजली मिस्त्री	1* (एक) (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 30 वर्ष के बीच और नीचे 40 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक) की जा सकती है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. आई.टी.आई. से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(8)	
3. इलेक्ट्रिकल वाइरिंग/फिटिंग के रखरखाव में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय** रखरखाव में लगे संस्थान में एयर कंडीशनर, जेनेरेटर आदि के कार्यकरण में एक वर्ष का अनुभव और कारखाना अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत ।	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 35-6/2009-प्रशा. III(पी)]

अनीता तिपरा, अवर सचिव

New Delhi, the 12th March, 2010

G.S.R. 56.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Sheep Breeding Farm, Hisar (Group 'C' and 'D') Recruitment Rules 2005, in so far as they relate to the post of Electrician except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Electrician in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Sheep Breeding Farm Hisar, namely :—

1. **Short title and commencement. —**(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Sheep Breeding Farm Hisar, Electrician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2010.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay. —**The number of the posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc. —**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

5. Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

6. **Power to relax. —**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Revised Pay Band/Scale/ Grade pay	Whether selection cum Seniority or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Electrician	1*(One)(2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, (Group 'C') Non-Gazetted Non-Ministerial	PB-1 with the pay scale of Rs. 5200-20200+ GP 1900	Not applicable	No	Between 30 years and below (Relaxable for Government servant upto 40 years (45 years in case of SC/ST in accordance with the instrucitons or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promote	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential 1. Matriculation or equivalent. 2. National Trade Certificate from ITI 3. At least 3 years experience in maintenance of Electrical wirings/fittings. **Desirable :** One year experience of working in an organization engaged in the maintenance of air conditoners, generators etc. and registered under the Factories Act.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Not applicable.

[F. No. 35-6/2009-Admn. III(P)]

ANITA TIPRA, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2010

सा.का.नि. 57.—वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा अपेक्षित तथा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई है, तो महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डा के सामने, नई दिल्ली-110003 को संबोधित किए जाएं :

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को वायुयान (संशोधन) नियम, 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. वायुयान नियम, 1937 में,

(i) नियम 3 में, खंड (33क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, नामश: :—

''(33ख) ''अनुरक्षण'' से ओवरहॉल, निरीक्षण, प्रतिस्थाप, दोष सुधार तथा उपांतरण या मरम्मत या जाँच में से कोई एक या इनके संयोजन सहित, किसी विमान की सतत उड़नयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कार्यो का निष्पादन अभिप्रेत है ;'';

(ii) नियम 61 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:—

''61. **वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों का अनुज्ञापन.**— (1) केन्द्रीय सरकार उन व्यक्तियों को, जो इस नियम में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, इस नियम के प्रावधान के अनुसार अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार पत्र या अनुमोदन या सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी ।

(2) वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञापन या प्राधिकार पत्र, अनुमोदन या सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु या उसके विस्तारण हेतु महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र और प्रकार अनुसार आवेदन करना होगा ।

(3) वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञापन निम्नलिखित प्रवर्गों में प्रदान किया जा सकेगा, नामश: :—

(क) प्रवर्ग क

(ख) प्रवर्ग ख 1

(ग) प्रवर्ग ख 2

(घ) प्रवर्ग ग

(4) विमानों, हेलीकॉप्टरों, टर्बाइन और पिस्टन इंजिनों से संबंधित प्रवर्ग क और प्रवर्ग ख 1 में अनुज्ञापन निम्नलिखित उप-प्रवर्गों में प्रदान किया जा सकता है, नामश: :—

(क) क 1 विमान टर्बाइन

(ख) क 2 विमान पिस्टन

(ग) क 3 हेलीकॉप्टर टर्बाइन

(घ) क 4 हेलीकॉप्टर पिस्टन

(ङ) ख 1.1 विमान टर्बाइन

(च) ख 1.2 विमान पिस्टन

(छ) ख 1.3 हेलीकॉप्टर पिस्टन

(ज) ख 1.4 हेलीकॉप्टर पिस्टन

(5) वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञापन प्रदान करने हेतु आवेदक निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, नामश: :—

(क) आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी;

(ख) उसने मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से भौतिकी, रसायन और गणित के साथ 10 + 2 या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(ग) उसने महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

परन्तु महानिदेशक ऐसी शर्तों के अधीन जो वे लगाना उचित समझे, किसी आवेदक को लिखित परीक्षा से छूट दे सकेगा, यदि आवेदक को संविदाकारी देश द्वारा वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की हैसियत से कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो; और

(घ) उसके पास कम से कम निम्नलिखित व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, नामश: :—

(i) प्रवर्ग क (कोई भी उप-प्रवर्ग) तथा प्रवर्ग ख 1 (उप-प्रवर्ग ख 1.2 व ख 1.4) हेतु-किसी प्रचालन वायुयान पर चार वर्षो का व्यावहारिक अनुरक्षण अनुभव; और

(ii) प्रवर्ग ख 2 और उप-प्रवर्गों ख 1.1 तथा ख 1.3— प्रचालित वायुयान पर पाँच वर्षों का व्यावहारिक अनुरक्षण अनुभव;

परन्तु उपर्युक्त (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट अनुभव अपेक्षाएं ऐसे आवेदक के मामले में एक वर्ष तक कम होंगी जिसने नियम 133ख के अंतर्गत अनुमोदित किसी प्रशिक्षण संगठन में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूर्ण किया हो या जिसने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी में डिग्री प्राप्त की हो:

परन्तु यह और कि सिविल वायुयान अनुरक्षण पर्यावरण से बाहर अर्जित बारह वर्षों के व्यावहारिक वायुयान अनुरक्षण अनुभव को उपर्युक्त (i) और (ii) में निहित अपेक्षाओं के समकक्ष माना जाएगा; बशर्ते कि सिविल वायुयान अनुरक्षण पर्यावरण में न्यूनतम एक वर्ष का अभिनव अनुभव हो;

(iii) बड़े वायुयान के मामले में प्रवर्ग घ के लिए—

(क) बड़े वायुयान पर प्रवर्ग ख 1.1, ख 1.3 या ख 2 के विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए या नियम 133 ख या उसके समायोजन के अंतर्गत अनुमोदित संगठन में बेस अनुरक्षण में सहायक स्टाफ के रूप में तीन वर्षों का अनुरक्षण अनुभव; या

(ख) बड़े वायुयान पर प्रवर्ग ख 1.2, या ख 1.4 के विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए या नियम 133 ख या उसके समायोजन के अंतर्गत अनुमोदित संगठन में बेस अनुरक्षण में सहायक स्टाफ के रूप में पाँच वर्षों का अनुरक्षण अनुभव;

(iv) प्रवर्ग ग के लिए बड़े वायुयान के अतिरिक्त वायुयान के संबंध में प्रवर्ग ख 1 या ख 2 के विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए या नियम 133 ख या उसके समायोजन के अंतर्गत अनुमोदित संगठन में बेस अनुरक्षण में सहायक स्टाफ के रूप में तीन वर्षों का अनुरक्षण अनुभव;

(ङ) आवेदक को महानिदेशक या उनकी तरफ से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, अनुज्ञप्ति के प्रवर्ग या उप-प्रवर्ग, जिसके लिए आवेदन किया गया है, के विशेषाधिकारों का प्रयोग की योग्यता का प्रदर्शन करना होगा ।

स्पष्टीकरण :—इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए,—

(i) ''बड़ा वायुयान'' से अभिप्रेत है 5700 कि.ग्रा. से अधिक के भार वाला कोई विमान या बहु-इंजन युक्त कोई हेलीकॉप्टर; और

(ii) ''सहायक स्टाफ'' से अभिप्रेत है वे अनुज्ञप्तिधारी इंजीनियर या अनुमोदन धारक जो सर्विस रिलीज प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं, परन्तु बेस अनुरक्षण पर्यावरण में अनुरक्षण कार्य करते हैं ।

(6) आवेदक के वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर के लाइसेंस में विस्तार प्रदान करने के लिए अपेक्षित होगा—

(क) महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट उपयुक्त विषय माडयूल में ज्ञान के स्तर के प्रदर्शन के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना; और

(ख) किसी अतिरिक्त प्रवर्ग या उप-प्रवर्ग की अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट संगत प्रशिक्षण प्राप्त करना, अनुरक्षण अनुभव अर्जित करना और कुशलता प्रदर्शित करना ।

(7) जो आवेदक किसी परीक्षा में असफल रहता है, उसे समुचित क्षेत्र में तीन माह का या अन्य ऐसे किसी अवधि का जो महानिदेशक विनिर्दिष्ट करें, अतिरिक्त अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् ही ऐसी परीक्षाओं में फिर से बैठने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति धारक को, किसी नए वायुयान, इंजिन या प्रणाली, जिसे संगठन में लाया गया है और जो उसकी अनुज्ञप्ति या उसके रिलीज प्रमाणपत्र जारी करने की परिधि के अंतर्गत नहीं आती, का अनुरक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है, बशर्ते कि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक को पर्याप्त ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त है, और उसने महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षाएं पास कर ली हैं ।

(9) इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक को पर्याप्त ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण और कुशलता प्राप्त है और उसने महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षाएं पास कर ली हैं, केन्द्रीय सरकार महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार वायुयान, इंजिन या संघटकों पर अनुरक्षण कार्य प्रमाणित करने के लिए महानिदेशक द्वारा अनुमोदित संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को अनुमोदन प्रदान कर सकती है ।

(10) इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक को पर्याप्त ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण, सक्षमता और कुशलता प्राप्त है और उसने महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षाएं पास कर ली है, तो केन्द्रीय सरकार महानिदेशक द्वारा अनुमोदित फर्म में कार्यरत आवेदक को विशिष्ट प्रक्रियाएं जो वायुयान की उड़नयोग्यता को प्रभावित कर सकती है, निष्पादित करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान कर सकती है ।

(11) जब तक निलम्बित, प्रत्यावर्तित या निरस्त न हो,—

(क) अनुज्ञप्ति उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रत्येक मामले में पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के अधीन रहते हुए, विधिमान्य बनी रहेंगी, और

नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्ति के समय और पांच वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेंगी :

परन्तु समाप्त अनुज्ञप्ति का नवीकरण केवल तभी किया जाएगा जब आवेदक ने ऐसी परीक्षाएं पास कर ली हों, जिन्हें महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(ख) प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अधिकतम अवधि के अधीन प्राधिकार, अनुमोदन या सक्षमता प्रमाण-पत्र विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगे और नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर एक समय पर और एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा बशर्ते कि आवेदक पिछले एक वर्ष में तीन माह की अवधि के लिए कार्यों के निष्पादन में लगा हो ।

(12) वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञापनों के विभिन्न प्रवर्गों के धारकों को निम्नलिखित विशेषाधिकार होंगे, नामश :

(i) प्रवर्ग क अनुज्ञापन धारकों को अनुज्ञापन पर पृष्ठांकित वायुयान के टाइप के लिए नियम 133ख के अंतर्गत अनुमोदित संगठन के द्वारा जारी प्राधिकार पर विशेष रूप से पृष्ठांकित किए गए अनुरक्षण कार्यों की सीमाओं के भीतर लघु अनुसूचित लाइन अनुरक्षण तथा साधारण दोष सुधार के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी किया जाए । प्रमाणन विशेषाधिकार अनुज्ञापन धारक द्वारा स्वयं किए गए कार्य तक प्रतिबंधित होंगे ।

(ii) प्रवर्ग ख1 अनुज्ञापन धारकों को अनुज्ञापन पर पृष्ठांकित वायुयान टाइप के संबंध में उनकी प्रयोज्यता सिद्ध करने के लिए साधारण परीक्षणों की आवश्यकता वायुयान संबंधी लाइन प्रतिस्थापनीय यूनिटों के प्रतिस्थापना सहित वायुयान संरचना, विद्युत संयंत्र, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल प्रणालियों सहित अनुरक्षण के पश्चात् सर्विस रिलीज प्रमाण-पत्र जारी किया जाए । प्रमाणन विशेषाधिकार अनुज्ञापन धारक द्वारा स्वयं किए गए कार्य तक प्रतिबंधित होंगे ।

स्पष्टीकरण,—

(क) प्रवर्ग ख1 प्रवर्ग क का उपयुक्त उप-प्रवर्ग स्वत: ही शामिल हो जाएगा;

(ख) माइक्रोलाइट वायुयान, ग्लाइडर, बैलून या वायु-प्रोत को प्रवर्ग क या प्रवर्ग ख1 में अनुज्ञापन धारक वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर के द्वारा प्रमाणित किया जाए ।

(iii) प्रवर्ग ख2 अनुज्ञापन धारकों को अनुज्ञापन पर पृष्ठांकित वायुयान टाइप के वायुयान संबंधी एवं इलेक्टिकल प्रणालियों के अनुरक्षण के पश्चात् सर्विस रिलीज प्रमाण-पत्र जारी किए जाए । और

(iv) प्रवर्ग ग अनुज्ञापन धारकों को अनुज्ञापन पर पृष्ठांकित वायुयान के संबंध में बेस अनुरक्षण के पश्चात् सर्विस रिलीज प्रमाण-पत्र जारी किये जाएं । विशेषाधिकार तभी प्रणालियों सहित समूचे विमान पर लागू होते हैं :

13. सीमाएं-प्रमाणन विशेषाधिकारों का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा यदि–

(क) विशिष्ट वायुयान टाइप पर प्रवर्ग क अनुज्ञापन धारक ने इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित अनुरक्षण या वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर प्रशिक्षण संगठन द्वारा किए गए संगत प्रवर्ग के वायुयान टाइप कार्य प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया है और प्रदर्शित किया है;

(ख) महानिदेशक द्वारा अनुमोदित या अनुमोदित अनुरक्षण प्रशिक्षण संगठन द्वारा आयोजित संगत प्रवर्ग ख1, ख2 या ग वायुयान टाइप प्रशिक्षण में परीक्षा के संतोषजनक रूप से पूरा करने के पश्चात् प्रवर्गों ख1, ख2 या ग लाइसेंस के मामले उपयुक्त वायुयान टाइप रेटिंग को लाइसेंस में पृष्ठांकित किया जाता है;

(ग) बड़े वायुयान की अपेक्षा वायुयान के लिए प्रवर्ग ख1, ख2 एवं ग को महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त समूह रेटिंग या विनिर्माता समूह रेटिंग सहित पृष्ठांकित किया जाता है ; और

(घ) पूर्ववर्ती चौबीस महीनों के भीतर वायुयान अनुरक्षण अनुज्ञापन धारक ने वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञापन के अंतर्गत विशेषाधिकार के अनुसार या तो छह माह का अनुरक्षण अनुभव अर्जित कर लिया हो या पहली बार अनुज्ञापन अर्जित किया है।

(14) (i) इस नियम के प्रभावी होने की तारीख से वैध वायुयान अनुरक्षण इंजीनीयर अनुज्ञापन धारक अपने अनुज्ञापन के विशेषाधिकार का प्रयोग करना जारी रख सकता है एवं इस नियम के अंतर्गत महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन उपयुक्त प्रवर्ग में वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञापन को सीमा सहित या बिना सीमा के एवं अगली परीक्षा के बिना जारी किया जाएगा।

बशर्ते कि विशेषाधिकारों का ऐसा प्रयोग महा-निदेशक, नागर विमानन द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के बाद जारी नहीं रखा जाएगा; और

(ii) कोई व्यक्ति जिसने इस नियम की अधिसूचना की तारीख से पूर्व मौजूदा नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञापन को प्राप्त करने के लिए योग्यता प्रक्रिया प्रारंभ की थी, वह 31 दिसम्बर, 2012 तक इस प्रक्रिया को जारी रख सकता है और उसे उपर्युक्त प्रवर्ग में वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञापन जारी किया जा सकता है।

(15) नियम 19 के उप-नियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, इस नियम के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति, प्राधिकार, प्रमाण-पत्र, अनुमोदन या सक्षमता प्रमाण-पत्र को प्रत्यावर्तित निरस्त, निलंबित या पृष्ठांकित कर सकती है या चेतावनी या भर्त्सना जारी कर सकती है या व्यक्ति को अस्थाई रूप से या स्थाई रूप से लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित कर सकती है, जैसे भी वह संतुष्ट है–

(क) आवेदक ने योग्यता प्रक्रिया के दौरान अनुचित या छलपूर्ण साधनों का प्रयोग किया था; या

(ख) धारक ने छलपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए प्रमाणन विशेषाधिकारों को प्राप्त किया है; या

(ग) धारक संगठन या व्यक्ति, जिसके लिए अनुरक्षण किया जाना अभिप्रेत था, के लिए ऐसे तथ्य की रिपोर्ट देने में विफलता के साथ स्व-निरीक्षण के परिणामस्वरूप अपेक्षित अनुरक्षण करने से विफल रहा है; या

(घ) धारक ने कार्य निष्पादित किया है या ऐसे कार्य के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रदान किया है जिसको सावधानी-पूर्वक एवं सक्षम तरीके से निष्पादित नहीं किया गया है या वायुयान की उड़नयोग्यता के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के लिए उत्तरदायी था; या

(ङ) धारक ने इस नियम के उल्लंघन में किसी भी मामले के संबंध में प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं; या

(च) धारक ने सर्विस रिलीज प्रमाण-पत्र यह ज्ञात होते हुए जारी किया कि सर्विस रिलीज प्रमाण-पत्र पर विनिर्दिष्ट अनुरक्षण नहीं किया गया है या बिना सत्यापित किए कि ऐसा अनुरक्षण किया गया है; या

(छ) धारक ने अनुरक्षण अभिलेखों के साथ धोखाधड़ी की है; या

(ज) धारक ने मद्यसार या किसी अन्य मादक या किसी मनोसक्रिय पदार्थ के प्रभाव में रहते हुए अनुरक्षण किया है या सर्विस रिलीज प्रमाण-पत्र जारी किया है; या

(झ) किसी अन्य कारण से यह अवांछनीय है कि धारक इस नियम के अंतर्गत उसे प्रदान किए गए विशेषा-धिकारों का प्रयोग करता रहेगा।

(16) केन्द्रीय सरकार यदि किसी कारण से ऐसा करना वांछनीय समझे तो अनुज्ञप्ति या प्राधिकार पत्र या अनुमोदन या सक्षमता प्रमाण-पत्र की मंजूरी या नवीकरण को रोक सकती है यदि, लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों हेतु वह मानती है कि ऐसा करना जनहित में उचित है ।''

[फा. सं. एवी-11012/1/10-क]

एन. राधाकृष्णन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सरकारी राजपत्र में दिनांक 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. बी-26 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन दिनांक 16-10-2009 के भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड (3), उप-खण्ड (i) में प्रकाशित दिनांक 14-10-2009 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 757(अ) द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 16th March, 2010

G.S.R. 57 .—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and a notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (..... Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937,—

(i) in rule 3, after clause (33A) , the following clause shall be inserted, namely:—

"(33B) " Mantenance" means the performance of tasks required to ensure the continuing airworthiness of an aircraft, including anyone or combination of overhaul, inspection, replacement, dafect rectification and the embodiment of a modification or repair or test,",

(ii) for rules 61, the following rule shall be substituted, namely:—

"61. Licensing of Aircraft Maintenance Engineers—(1) The Cental Government may grant licences, authorisations or approvals or certificats of competency as provided in this rule, to persons who meet the requirements specified in this rule.

(2) The application for the grant of an Aircraft Maintenance Engineer's Licence or an authorisation, approval or certificate of competency, or for extension thereof , shall be made in the form and manner specified by the Director-General.

(3) The Aircraft Maintenance Engineer's licence may be granted in the following categories, namely:—

(a) Category A

(b) Category B1

(c) Category B2

(d) Category C.

(4) The licences in categories A and B1, in relation aeroplanes, helicopters, turbine and piston engines, may be granted in the following sub-categories, namely:—

(a) A1 Aeroplanes Turbine

(b) A2 Aeroplanes Piston

(c) A3 Helicopter Turbine

(d) A4 Helicopter Piston

(e) B1.1 Aeroplanes Turbine

(f) B1. 2 Aeroplanes Piston

(g) B1.3 Helicopter Turbine

(h) B1.4 Helicopter Piston.

(5) An applicant for the grant of Aircraft Maintenance Engineer's Licence shall satisy the following requirements, namely:—

(a) he shall not be less than 18 years of age;

(b) he shall have passed 10+2 examination with Physics,Chemistry and Mathematics from a recognised Board or University or its equivalent;

(c) he shall have passed a written examination as specified by the Director-General :—

Provided that the Director-General may, subject to such conditions as he may deem fit to impose, exempt any applicant from the written examination if the applicant holds a licence granted by a Contracting State to act in the capacity of an aircraft maintenance engineer, and

(d) he shall have the following minumum practical experience, namely:—

(i) for Category A (any sub-category) and Category B1 (sub-categories B1.2 and B1. 4) four years of practical maintenance experience on an operating aircraft; and

(ii) for Category B2 and sub-categories B1.1 and B1. 3—five years of practical maintenance experience on an operating aircraft:

Provided that the experience requirement specified at (i) and (ii) above shall be reduced by one year in case of an applicant who has satisfacrtorily completed training in any training organisation approved under rule 133B or who has acuired a Degree in Engineering from a recognised University:

Provided further that twelve years of practical aircraft maintenance experience, acquired outside a civil aircarft maintenance enviroment shall be treated as equivalent to the reuirements laid down in (i) and (ii) above, so long as at least one year of recent experience shall be in civil maintenance environment;

(iii) for Category C with respect to large aircraft—

(A) three years of maintenance experience exercising privileges of Categories B1.1, B1.3 or B2 on larges aircraft or as support staff in a base maintenance in an organisation approved under rule 133B or a combination thereof; or

(B) five years of maintenance experience

exercising the privileges of Categories B1.2 or B1.4 on large aircraft or as support staff in base maintenance in an organisation approved under rule 133B, or a combination thereof;

(iv) for Category C with respect to aircraft other than large aricraft—three years of maintenance experience of exercising privileges of category B1or B2 or support staff in an organisation approved under rule 133B, or a combination thereof;

(e) the applicant shall have demonstrated to the Director- General or any other person authorised by him in his behalf, the ability to exercise the privileges of the category and sub-category of the licence for which the application has been made.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule,—

(i) "large aircraft" means any aeroplane with a maximum mass of more than 5700 kg or any multi-engined helicopter, and

(ii) "support staff" means those licensed engineers or approval holders who are not authorised to issue certificate of release to service, but perform maintenance in the base maintenance environment.

(6) The applicant for grant of extension of Aircraft Maintenance Engineer's licence shall be required—

(a) to pass a written examination so as to demonstrate a level of knowledge in the appropriate subject modules as specified by the Director-General; and

(b) to undergo relevant training, acquire maintenance experience and demonstrate skill as specified by the Director-General for grant of any additional category or sub category of licence.

(7) An applicant who fails in any examination shall be permitted to appear again for such examination only after acquiring additional experience of three months or such other period in the appropriate field as may be specified by the Director-General.

(8) The Central Government may grant authorisation to the holders of an Aircraft Maintenance Engineer's Licence to carry out maintenance of an any new aircraft, engine or system which has been brought into the organisation and which is not within the scope of his lecence, and to issue a certificate of release therefor, provided that the Director-General is satisfied that the applicant has suffcient knowledge, experience and training and has passed such examinations as specified by the Director-General.

(9) Upon being satisfied that the applicant was sufficient knowledge, experience, training and skill and has passed such examinations as specified by the Director General the Central Government may grant approvals to persons employed in an organisation approved by Director-Gerneral to certify maintenance work carried out on aircraft, engine or components, in accordance with the procedures specified by the Director-General.

(10) Upon being satisfied that the applicant has sufficient knowledge, experience, training, competency and skill and has passed such examinations as specified by the Director-General the Cental Government may grant a Certificate of Competency to an applicant employed in a firm approved by Director-General to perform specialised processes which may affect the airworthiness of an aircraft.

(11) Unless suspended, revoked or cancelled,—

(a) a licence shall remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of five years in each case, and may be renewed for another five years at a time on receipt of the application for renewal:

Provided that an expired licence shall be renewed only after the applicant has passed such examinations as may be specified by the Director-General.

(b) an authorisation, approval or certificate of compentency shall remain valid for a period specified therein , subject to a maximum period of one year in each case, and may be renewed for another one year at a time on receipt of application for renewal, provided the applicant has engaged himself in the performance of the tasks for a period of three months in the preceding one year.

(12) The holders of various categories of Aircraft Maintenance Engineer's Licenses shall have the following privileges, namely:—

(i) Category A licence holders to issue certificates for release to service after minor scheduled line maintenance and simple defect rectification within the limits of maintenance tasks specifically endorsed on the authorisation issued by an organisation approved under rule 133B for the type of aircraft endorsed on the licence. The certification privileges shall be restricted to the

work carried out by the licence holder himself.

(ii) Category B1 licence holders to issue certificates for release to service after maintenance, including aircraft structure, power-plant, mechanical and electrical systems, including replacement of avionic line replaceable units requiring simple tests to prove their serviceability, in respect of an aircraft type endorsed on the licence. The certification privileges shall be restricted to the work carried out by the licence holder himself.

Explanation.—

(a) Category B1 shall automatically include the appropriate sub-category of Category A;

(b) Microlight aircraft, glider, balloon or an airship may be certified by an aircraft maintenance engineer holding a licence in Category A or Category B1.

(iii) Category B2 licence holders to issue certificates of release to service after maintenance on avionic and electrical systems of aircraft type endorsed on the licence; and

(iv) Category C licence holders to issue certificates of release to service after base maintenance in respect of an aircraft of the type endorsed on the licence. The privileges apply to the aircraft in its entirety including all systems:

(13) Limitations—The certification privileges shall be exercised only if—

(a) the holder of a Category A licence on a specific aircraft type has satisfactorily completed and demonstrated the relevant Category A aircraft type task training carried out by an approved maintenance or AME training organisation approved for the purpose;

(b) the licence is endorsed with the appropriate aircraft type rating in case of a Categories B1, B2 or C licence after satisfactory completion of an examination in the relevant Category B1, B2 or C aircraft type training approved by Director-General or conducted by an approved maintenance training organisation;

(c) categories B1, B2 and C license for aircraft other than large aircraft, is endorsed with the appropriate group rating or manufacturer group ratings as specified by the Director-General; and

(d) within the preceding twenty-four months, the holder of an Aircraft Maintenance Licence has either acquired six months of maintenance experience in accordance with the privileges under the Aircraft Maintenance Engineer's Licence or has acquired the licence for the first time.

(14) (i) The holder of a valid Aircraft Maintenance Engineers Licence on the date of coming into force of this rule may continue to exercise the privileges of his licence and shall be issued, with or without limitation and without further examination, an Aircraft Maintenance Engineer's Licence in the appropriate category under this rule subject to such conditions as may be specified by the Director-General:

Provided that such exercise of privileges shall not be continued beyond a date specified by DGCA; and

(ii) Any person who began a qualification process for obtaining an Aircraft Maintenance Engineer's Licence under the rules and procedures existing prior to the date of notification of this rule, may continue the process till 31 December, 2012 and may be issued an Aircraft Maintenance Engineer's licence in the appropriate category.

(15) Without prejudice to the provisions of sub-rule (3) of rule 19 of these rules, the Central Government may, after such inquiry as it may deem fit and after giving a reasonable opportunity of being heard, revoke, cancel, suspend or endorse any licence or authorisation or approval or certificate of competency granted under this rule or issue a warning or an admonition or debar a person from acquiring a licence temporarily or permanently, where it is satisfied that—

(a) the applicant had used unfair or fraudulent means during the qualification process; or

(b) the holder has obtained the certification privileges by adopting fraudulent means; or

(c) the holder has failed to carry out required maintenance resulting from own inspection combined with failure to report such fact to the organisation or person for whom the maintenance was intended to be carried out; or

(d) the holder has performed work or granted a certificate in respect of work which has not been performed in a careful and competent manner or was responsible in any manner that compromised airworthiness of the aircraft; or

(e) the holder has signed a certificate in respect of any matter in contravention of this rule; or

(f) the holder has issued a certificate of release to service knowing that the maintenance specified on the certificate of release to service has not been carried out or. without verifying that such maintenance has been carried out; or

(g) the holder has falsified the maintenance records; or

(h) the holder has carried out maintenance or has issued a certificate of release to service while under the influence of alcohol or any other intoxicating or any psychoactive substance; or

(i) it is undesirable for any other reason that the holder should continue to exercise his privileges granted under this rule.

(16) The Central Government may withhold the grant or renewal of a licence or authorisation or approval or certificate of competency if, for reasons to be recorded in writing, it considers it expedient to do so in public interest.".

[F. No. AV. 11012/1/10-A]

N. RADHAKRISHNAN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Official Gazette vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by G.S.R.757(E) dated 14-10-2009 published in Part II, Section (3), Sub-section (i) of the Gazette of India on 16-10-2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.